HRA ANGERT ANGELLAND THE Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1755]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 2011/भाद्र 28, 1933

No. 1755]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 2011/BHADRA 28, 1933

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2011

का.आ. 2097(अ).—पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 (2009 का 27) के खण्ड 1 के उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 20 सितम्बर, 2011 को एक ऐसी तारीख के रूप में निश्चित करती है जिस पर उक्त अधिनियम के उपबंध उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किए जाएंगे।

[फा. सं. 51-44/90-एलडीटी (आर पी) (खंड-IV)] राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव (एल एच)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2011

S.O. 2097(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (27 of 2009), the Central Government hereby appoints the 20th day of September, 2011 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the State of Uttar Pradesh.

[F. No. 51-44/90-LDT (RP) (Vol. IV)] RAJBIR SINGH RANA, Jt. Secy. (LH)